फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025/252

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री दिलीप कुमार मेघवाल
निवासी सिंथरथ
तहसील सिरोही
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 56 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
03.09.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनांक 17.07.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिंथरथ में धान्ता सिंथरथ सडक के किनारे निर्मित सामुदायिक शौचालय, कचरा संग्रहण, आंगनवाडी केन्द्र एवं भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र भवन आदि जिन खसरा संख्याओं में निर्मित है, उनकी राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या व किस्म सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनांक 17.07.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिंथरथ में धान्ता सिंथरथ सडक के किनारे निर्मित सामुदायिक शौचालय, कचरा संग्रहण, आंगनवाडी केन्द्र एवं भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र भवन आदि जिन खसरा संख्याओं में निर्मित है, उनकी राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या व किस्म सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही